न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 14 / 2018

RCMS Sace No. 2018/00143

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 हिराराम पुत्र दरगाराम		1 मगाराम पुत्र दुदाराम जाति जणवा चौधरी निवासी बिलिया तहसील बाली
2 पुनाराम पुत्र दरगाराम		
3 पप्पुराम पुत्र दरगाराम		
4 मनुदेवी पुत्री दरगाराम		2 सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली
5 छगुदेवी पुत्री दरगाराम जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण बिलिया तहसील बाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 30 / 1980–1981 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.02.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 156 दिनांक 11.01.1981 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता दरगाराम का खरीदसुदा कब्जासुदा मकान ग्राम बिलिया की आबादी भूमि में आया हुआ स्थित है। दरगाराम द्वारा उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु अपने अंगुष्ठ निशान अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदन पर एकमात्र रूप से दरगाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई, उसमें कूटरचना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 का नाम भी दरगाराम के नाम के साथ अंकित कर दिया। जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें दरगाराम का कब्जा होना जाहिर किया है। मगाराम द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। ग्राम पंचायत द्वारा दो स्वतन्त्र गवाहों के बयान कलमबद्ध किए है, जिन्होंने वांछित भूमि पर दरगाराम का कब्जा होना जाहिर किया है। गवाद गुलाबपुरी द्वारा स्पष्ट रूप से दरगाराम का कब्जा बताया, जबकि बसन्तपुरी के बयानों में मगाराम का नाम अन्त में जोड़ा गया है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा में दरगाराम के साथ साथ मगाराम का नाम भी जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टे में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अंकित कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी दरगाराम एवं मगाराम की पुश्तैनी भूमि है। जिसका ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है। इस भूमि के सम्बन्ध में सिविल वाद भी विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रकरण हाजा में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत की कार्यवाही का परीक्षण किया जाना है। ग्राम पंचायत के समक्ष जो रिपोर्ट आदि प्राप्त हुई है, उसमें मौके पर दरगाराम एवं मगाराम, दोनों का कब्जा होना जाहिर किया गया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को दरगाराम की खरीदसुदा होना बताते है, जबकि उनके द्वारा खरीद से सम्बन्धित कोई रजिस्ट्री अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए है। वास्तविक रूप से आवेदन दोनों भाईयों के नाम से पट्टा जारी कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था। विधि में ऐसी कोई बाधा नहीं है, कि एक भाई अपने संयुक्त पट्टा हेतु आवेदन नहीं कर सकता है। गवाहों ने जैर निगरानी विवादित आराजी पर दोनों भाईयों का कब्जा होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा बाद सन्तुष्टी ग्राम पंचायत द्वारा दोनों का हिस्सा मानते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में दरगाराम व मगाराम के नान का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कूटरचना नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के समक्ष जो मौका निरीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत हुआ है, उस पर तीन पंचों के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आपत्ति इश्तिहार जारी हुआ है, उस पर किन व्यक्तियों के समक्ष, किस स्थान पर चस्पा किया गया है, यह अंकित ही नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा में प्रक्रियागत त्रुटी होने से निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दरगाराम द्वारा ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित भूमि दरगाराम, मगाराम पुत्र दूदाराम के नाम से पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.1980 को मिसल कायम करते हुए भूखण्ड का नक्शा तैयार करने एवं मौका निरीक्षण हेतु श्री नरपतसिंह, तोगाराम व प्रभूलाल को मनोनीत किया गया। इस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया गया एवं तीन पंचों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न है, उसमें दो पंचो के हस्ताक्षर एवं एक पंचायत का अंगुष्ठ निशान लगा हुआ है, किन्तु उक्त अंगुष्ठ निशान किसका है, यह अंकित नहीं है। पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट में वांछित भूमि पर दरगाराम, मगाराम पि0 दुदाजी का पुराना मकान बना होना

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जाहिर किया तथा आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 14.10.1980 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, वह एक साक्ष्य की उपस्थिति में दिनांक 16.10.1980 को मौके पर चस्पा किया जाना अंकित किया है। इसके पश्चात दिनांक 19.11.1980 को निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण कब्जे के समर्थन में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किए। गवाहों ने अपने बयानों में वांछित भूमि पर दरगाराम व मगाराम का हिस्सा होना जाहिर किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं प्रक्रियागत त्रुटी नहीं है।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 30/1980–1981 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.02.1981 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 156 दिनांक 11.01.1981 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली